CHETNA

# स्ट्रीट टू स्कूल

TOYBOX
Changing the world
for street children

अंक–02 दिसम्बर 2018

# स्कूल में पढ़ने का पूरा हुआ सपना

## 250 बच्चों का सड़क से स्कूल तक का सफर

सड़क और झुग्गी समुदायों में रहने वाले बच्चों को अक्सर कई आर्थिक गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, जो वे खुद के साथ–साथ अपने परिवारों के वयस्क सदस्यों के लिए आजीविका कमाने के लिए करते हैं। स्ट्रीट टू स्कूल प्रोजेक्ट की बस्तियों में बच्चों की स्थिति इस सामान्य प्रवृत्ति से अलग नहीं है। गरीबी से घिरे, वे घर और बाहर दोनों जगह, साथ ही साथ अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल करने के लिए कई तरह के अजीब काम करते पाए जाते हैं। सड़क और कामकाजी बच्चे हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं। ध्वनिरहित और अप्रतिष्ठित होने के कारण, वे शोषण के कई रूपों के शिकार हो जाते हैं। यह माना गया है कि यदि उन्हें सशक्त बनाया जाए कि वे अपनी परेशानियों के लिए आवाज उठा सकें और अपने अधिकारों के लिए एक साथ खड़े हो सकें, जिससे उनके लिए सतत विकास का मार्ग चलना आसान हो जाता है। एक बेहतर भविष्य का सपना देखने और उसको पूरा करने की चाहत के बावजूद, अन्य बच्चों की तरह, 10 वर्षीय सलमान (बदला हुआ नाम) भी दिल्ली की कसाई की दुकान पर काम करता था। सलमान अपना अनुभव साझा करते हुए कहता है कि "मुझे बहुत बुरा लगता था जब लोग मुझसे कहा करते थे कि मीट काट कर ले आओ या कभी–कभी उन्होंने मुझे यह कहते हुए धमकाया कि अगर उनका ऑर्डर बनने में देरी हुई तो वे मुझे मारेंगे"। सलमान के पिता एक



फर्नीचर की दुकान पर काम करते हैं और उनकी माँ कोठी में एक नौकरानी के रूप में काम करती हैं। चेतना एनजीओ के स्वयंसेवक सलमान के माता–पिता से मिले और उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। कुछ महीनों पहले उसके जीवन में एक मोड़ आया और चेतना संस्था के कार्यकर्ता ने सलमान का एमसीडी स्कूल में दाखिला दिलाया, अब सलमान रोजाना स्कूल जाता है और एजुकेशन क्लब पर भी पढने आता है। कई प्रयासों के बाद, सलमान की माँ उसे स्कूल भेजने के लिए सहमत हुई। यहां तक कि एक कामकाजी बच्चा होने के बावजूद वह कक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। सलमान अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहता है कि 'अब मुझे बेहतर महसूस होता है जब लोग पढ़ाई में मेरी कड़ी मेहनत की सराहना करते हैं।'

सलमान की ही तरह नेहा (बदला हुआ नाम) भी दिल्ली की एक बस्ती में जनरल स्टोर पर काम करती है, स्कूल जाने से पहले नेहा ज्यादातर समय दुकान पर ही बीताती थी। नेहा के माता पिता चाहते थे कि उनकी बेटी भी पढने जाए लेकिन संचार कौशल और दस्तावेजों की कमी के कारण वे नेहा का स्कूल में दाखिला कराने में असमर्थ थे, जिसके परिणाम स्वरूप नेहा ने छोटी सी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया और घर की कुल आय में एक मुख्य योगदानकर्ता बन गयी। तभी नेहा की मुलाकात चेतना संस्था के कार्यकर्ता से हुए जिन्होंने नेहा से पढाई करने के विषय पर चर्चा किया, नेहा तो यह उम्मीद भी खो बैठी थी कि अब वह स्कूल कभी जा पायेगी। तभी कार्यकर्ता ने नेहा तथा उसके माता–पिता को काफी समझाया और उसका दाखिला स्कूल में कराया। चेतना संस्था ने ज्वलठव के साथ मिलकर न सिर्फ सलमान और नेहा बल्कि इनके ही जैसे 250 सड़क और काम–काजी बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया। शुरू में, यह आसान नहीं था, माता–पिता के लिए शिक्षा का कोई महत्व नहीं था। लेकिन उनके साथ कई बैठकों और रोजाना वार्तालाप के बाद, वे आखिरकार अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए राजी हो गए। चेतना एनजीओ के कार्यकर्ता तुलसी अनुसार, उन्हें हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे–धीरे उन्होंने सभी चुनौतियों का डट कर सामना किया। उन्होंने नियमित रूप से बच्चों के घर और स्कूल के दौरे किए और माता–पिता के साथ बातचीत करके बच्चों और उनके माता–पिता को प्रेरित किया। सड़क और कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। यह माता–पिता, समुदाय और बच्चों की मानसिकता के खिलाफ है, जो सोचते हैं कि शिक्षा कमाई में परिवर्तित नहीं होती है।

### संपादकीय

प्रिय पाठक,

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि "स्ट्रीट टू स्कूल" परियोजना के तहत 250 बच्चों का सफलतापूर्वक स्कूल में दाखिला करा दिया गया है। इसमें आप सबका अभूतपूर्व सहयोग रहा है जिसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आप सभी के प्रेम और मार्गदर्शन का नतीजा है कि हम इतने कम समय में इस परियोजना का संचालन पूर्वोत्तर दिल्ली में भी शुरू कर दिया है। पढाई के साथ साथ खेलकूद, मनोरंजन और अभिव्यक्ति की आजादी और भागीदारी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। हम आशा करते हैं कि यह परियोजना निरंतर परवान चढ़े और आप सबका सहयोग यूँहीं प्राप्त होता रहे। इस छमाही पत्रिका में तमाम प्रयासों को सहेजने का प्रयास किया गया है।

भवदीय,
पूजा सिंह

# आवासीय कार्यशाला में मिला नेतृत्व क्षमता वृद्धि का मौका

बच्चे और उनकी भागीदारी चेतना संस्था की सभी पहल का केंद्र है। स्ट्रीट टू स्कूल परियोजना की सभी गतिविधियाँ जो हम कार्यान्वित करते हैं, उनमे आवासीय कार्यशाला का एक विशेष महत्व है। यह उन गतिविधियों में से एक है, जिनका आकलन सड़क और कामकाजी बच्चों को सशक्त बनाने में अत्यधिक प्रभावशाली है संस्था के मुख्य मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, यहां बच्चे कई सहभागी गतिविधियों में शामिल होते हैं, जो उन्हें कुशल लीडर बनने में



मदद करते हैं। जिस तरह की स्ट्रीट जिन्दगी ये बच्चे जीते हैं और बाल्यावस्था में आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी न केवल उन्हें बुनियादी जरूरत और विकासात्मक अवसरों से वंचित करती है, बल्कि उन्हें शोषण, दुर्व्यवहार और आपराधिक जोखिम की तरफ ढकेलती है। आम तौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि सशक्तिकरण की प्रक्रिया इन कमजोर बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार करने और उन जोखिमों को कम करने में बहुत मदद करती है, जो वे अपने दिन–प्रतिदिन के जीवन में सामना करते हैं।

आवासीय कार्यशाला एक ऐसा प्रयास है, जहाँ सड़क और कामकाजी बच्चें अपने नेतृत्व कौशल को बढ़ाकर सशक्त होते हैं। इसके अलावा, काम की उलझन, गरीबी और निरंतर व्यस्तता के कारण, उन्हें शायद ही कभी आराम करने और आउटडोर गतिविधियों का आनंद लेने का अवसर मिलता है जो उन्हें आवासीय कार्यशाला के दौरान मिला पाता है। परियोजना की एक वार्षिक गतिविधि के रूप में, इस वर्ष भी 29 नवम्बर से 3 दिसंबर 18 तक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 28 बच्चों ने भाग लिया। चार दिवसीय आवासीय कार्यशाला के मॉड्यूल में इंटरैक्टिव और भागीदारी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिसमें समूह कार्य, आउटडोर गेम, समूह प्रस्तुति, कला और शिल्प

शेष पृष्ठ 2 पर

# बच्चों के हित के लिए स्टेकहोल्डर्स मीटिंग

22 दिसंबर 2018 को, होटल जिंजर ईस्ट दिल्ली में स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन आयोजित किया गया। इस बैठक में कुल 46 लोग शामिल हुए, जिनमें 5 स्कूल के प्रिंसिपल, 7 शिक्षक, 3 चाइल्ड लाइन समन्वयक, 2 (जिला बाल संरक्षण इकाई) डीसीपीयू प्रतिनिधि, 20 अभिभावक 1 एनजीओ पार्टनर तथा टीम के सदस्य शामिल थे।

बैठक की शुरुआत श्री भूपेंद्र, चेतना संस्था के एडवोकेसी समन्वयक, द्वारा दिए गए संक्षिप्त परिचय के साथ हुई। श्री भूपेंद्र ने पश्चिमी दिल्ली में 'स्ट्रीट टू स्कूल' परियोजना शुरू करने के इतिहास के बारे में विस्तार से बताया। श्री भूपिंद्र ने बताया कि कैसे शुरू में संस्था ने बच्चों को स्कूल में दाखिला कराया लेकिन प्रति–धारण कार्य नहीं होने के कारण, अधिकतम बच्चों ड्राप–आउट हो गये। जब बच्चों के ड्राप–आउट का कारण ढूंढा गया तो यह पाया गया कि तो इसके तीन मुख्य आधार थे, जिसमें पहला कारण स्वयं बच्चे, उनके माता–पिता, शिक्षक और स्कूल का वातावरण। प्रोजेक्ट 'स्ट्रीट टू स्कूल' को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वह बच्चों, उनके माता–पिता और स्कूल के साथ सीधे काम कर सके और स्कूल में बच्चों की उच्च प्रति–धारण दर सुनिश्चित कर सके। प्रोजेक्ट 'स्ट्रीट टू स्कूल' को इस तरह से डिजाइन किया गया कि वह बच्चों, उनके माता–पिता और स्कूल के साथ प्रत्यक्ष रूप से काम कर सके और स्कूल में बच्चों की उच्च प्रति–धारण दर सुनिश्चित कर सके। इस खोज के परिणामस्वरूप, संस्था ने टोय्बोक्स की मदद से ने पश्चिम दिल्ली में 500 बच्चों को स्कूल में दाखिला कराया और उच्च प्रति–धारण सुनिश्चित करने के लिए इस परियोजना को शुरू किया। अब ये बच्चे नियमित रूप से स्कूलों में जा रहे हैं और अपनी कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त कर रहे हैं। जब इस परियोजना का मूल्यांकन किया गया, तो यह पाया गया कि 93: बच्चों ने स्कूल में उच्च प्रति–धारण प्राप्त किया और उनमें से कुछ ने अपनी कक्षाओं में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। पश्चिम दिल्ली में इस परियोजना की सफलता के परिणामस्वरूप, मार्च 2018 में "स्ट्रीट टू स्कूल" परियोजना की शुरुआत उत्तर–पूर्वी दिल्ली के 10 समुदायों में 250 बच्चों के साथ हुई।

**स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन के मुख्य उद्देश्य–**

1. 'स्ट्रीट टू स्कूल' परियोजना के अनुभवों, उपलब्धियों और चुनौतियों को सभी हितधारकों के साथ साझा करना।

2. शिक्षकों और अभिभावकों को एक ऐसा मंच प्रदान करना जहाँ वे एक साथ आ सकें और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर सकें।

3. परियोजना की बेहतर भविष्य–योजना के लिए अन्य हितधारकों से सुझाव और सिफारिशें प्राप्त करना।

4. उच्च स्तर पर बच्चों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ नेटवर्किंग को मजबूत करना।

कंसल्टेशन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गयी–

1. स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती अर्चना जैन ने कहा कि बच्चों को खाता खोलने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण उनमें से अधिकांश बच्चें खाता खोलने के कार्य में लगे हुए हैं। यहां तक कि शिक्षक भी बच्चों का खाता खोलने में बहुत समय लगाते हैं। कुछ बैंक एक निश्चित राशि जमा करने के बाद ही खाता खोलते हैं और यदि कोई उस निश्चित राशि को बनाए नहीं रखा जाता है, तो हर महीने बैंक कुछ पैसे काट लेता है। बच्चों के माता–पिता के पास पर्याप्त पैसा नहीं है और वे बैंक की शर्तों को पूरा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में बैंक खाता नहीं होने क कारण बच्चों को यूनिफॉर्म और स्टेशनरी का पैसा नहीं मिलता है। क्योंकि अब सरकार यह पैसा सीधे बच्चों के खातों में भेजती है।

2. चाइल्डलाइन समन्वयक, श्री यशू दास ने सभी को बताया कि उनकी टीम बच्चों की मदद करने के लिए कैसे काम कर रही है और बच्चों और हम सभी उनसे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने साझा किया कि कुछ दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें इस मामले पर चर्चा की गई थी। अगर बैंक कर्मचारी बच्चों का खाता खोलने में कोई परेशानी पैदा करता है, तो आप उसकी लिखित शिकायत डीएम के कार्यालय में कर सकते हैं और डीएम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे।

3. शिक्षक श्री भगवान दास द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि इन बच्चों के माता–पिता को बच्चों की पढ़ाई में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके जवाब में, माता–पिता ने साझा किया कि वे सुबह काम के लिए निकलते हैं और देर रात घर आते हैं, जिसके कारण वे नियमित रूप से स्कूलों का दौरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन वे स्ट्रीट एजुकेटर्स के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं और बच्चों की पढ़ाई पर नजर रखते हैं।

4. पूजा, प्रोजेक्ट समन्वयक, ने बताया कि पढ़ाई बच्चों के लिए बोझ की तरह नहीं किया होनी चाहिए। एक शिक्षक के रूप में हमें बच्चों को संवादात्मक और बच्चे के अनुकूल तरीके से पढ़ाना चाहिए।

5. स्कूल प्रिंसिपल श्री अशोक कुमार के अनुसार, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों को स्कूल के शिक्षकों और अन्य अभिभावकों के साथ समन्वय करना चाहिए ताकि बच्चों के ड्राप–आउट की संख्या को कम किया जा सके और अभिभावकों और छात्रों दोनों के लिए काउंसलिंग की जानी चाहिए ताकि उन्हें शिक्षा के महत्व को समझ आ सकेद्य

6. शिक्षकों ने माता–पिता को प्रोत्साहित किया कि जब नई स्कूल प्रबंधन समिति बनेगी, तो ये सभी अभिभावक समिति का सक्रिय हिस्सा बनें।

**प्रतिभागियों द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया और सुझाव–**

- स्कूल के शिक्षकों ने चेतना स्टाफ द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उनके अनुसार 'स्कूल में बच्चों को नियमित रखने के लिए स्कूल का दौरा और घर का दौरा बहुत रचनात्मक गतिविधियाँ हैं।'
- शिक्षकों ने माता–पिता को सुझाव दिया कि यदि बच्चा किसी कारण से स्कूल नहीं आ सकता है, तो स्कूल में इस बारे में लिखित रूप में सूचित करें।
- अभिभावकों ने आवासीय कार्यशाला की बहुत सराहना की। उनके अनुसार, इस प्रकार की गतिविधियाँ बच्चों के विकास में मदद करती हैं जिसके लिए वे चेतना के आभारी हैं।

पृष्ठ 1 का शेष

# आवासीय कार्यशाला में मिला नेतृत्व क्षमता वृद्धि का मौका

गतिविधियाँ, समूह चर्चा और सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य है। कार्यशाला में आयोजित कई गतिविधियों में से एक गतिविधि ऐसे भी थी जिसमें बच्चों की कल्पना को विकसित किया गया, इसके बाद उसी पर समूह चर्चा की गई। गतिविधि को "सपनों की दुनिया" कहा गया जिसमें बच्चों को एक ऐसे जीवन की कल्पना करने के लिए कहा गया था जिसे वे अपने लिए चाहते हैं। जब सभी बच्चों ने अपने सपनों की दुनिया साझा किया जिसमें से कुछ बच्चें पुलिस , तो कुछ बच्चे अध्यापक बनना चाहते थे। इसके बाद दूसरे सत्र में 'सपनों की दुनिया' में आने वाली रुकावटों और उन रुकावटों को दूर करने के उपायों गतिविधियों के माध्यम से चर्चा किया गया। ताकि बच्चों को यह समझ में आ सके कि हमे अपने सपने पूरे करने के लिए मन लगाकर पढाई करनी पड़ेगी द्यबच्चों को उनके सपनों की दुनिया में आने वाली बाधाओं पर सोचने के लिए प्रेरित करने वाली गतिविधियों का संचालन करने के बाद, बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता पर एक सत्र आयोजित किया गया: "बाल अधिकार क्या हैं और उनके उल्लंघन को कैसे रोका जाए"। बच्चों को यूएनसीआरसी (United Nations Convention on Rights of the Child) द्वारा मान्यता प्राप्त चार मूल बाल अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद चाइल्ड–लाइन पर एक संक्षिप्त चर्चा भी हुई। आउटडोर और साहसिक खेल आवासीय कार्यशाला की एक विशेष विशेषता रहे हैं। साहसिक खेलों जैसे रैपलिंग, फ्लाइंग फॉक्स, रॉक क्लाइम्बिंग, वॉल क्लाइम्बिंग, बर्मा ब्रिज, मंकी क्रॉलिंग, कमांडो, आदि खेलों में बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। ये सभी खेल न केवल बच्चों के लिए, बल्कि टीम के अधिकांश सदस्यों के लिए भी बिल्कुल नए थे। इसलिए, खेलों में उनकी भागीदारी उत्साह से भरी हुई पाई गई। यह देखा गया है कि बच्चे किसी भी अन्य गति–विधि की तुलना में इसमे अधिक आनंद लेते हैं। जैसा कि इन खेलों के सफल समापन के लिए दृढ़ विश्वास, साहस और सबसे महत्वपूर्ण बात, दर्शकों और उनके दोस्तों से द्वारा हौसला बढ़ाना आवश्यक है। कार्यशाला में सभी ने एक दूसरे का बहुत हौसला बढ़ाया ताकि वे सभी खेल साहस के साथ पूरा कर सकेद्य इन सभी खेलों और गतिविधियों में एक सामान्य तत्व था, इन सभी में कुछ बाधाएँ और चुनौतियाँ थीं जिन्हें दूर करने के लिए प्रतिभागियों को साहस और एक दूसरे की हौसले आवश्यकता थी। एक दूसरे के लिए ताली बजाने, मनोबल बढ़ाने और खुद पर विश्वास रखने से सभी बच्चें को सफलतापूर्वक कार्य पूरा करने में बहुत मदद मिली। अंत में, बच्चों ने व्यक्त किया कि अपने साथी बच्चों के प्रोत्साहन के बिना वे कार्य को उतनी अच्छे से और सफलतापूर्वक नहीं कर पाते जितना उन्होंने सबके द्वारा मनोबल बढ़ाने से किया। कार्यशाला के अंतिम दिन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमे सभी बच्चों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिला। बच्चों के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने भी बच्चों के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे–सामूहिक नृत्य, गायन प्रतियोगिता, सवाल–जवाब, आदि में भाग लिया। सभी बच्चों ने उत्साह के साथ सभी कार्यक्रमों में भाग लिया और प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत किया। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को मेडल से पुरस्कृत किया गया तथा उनके मनोबल कों बढ़ाया।

## एजुकेशन क्लब पर बच्चों के साथ राष्ट्रीय दिवस और त्यौहारों का आयोजन

हर कोई अपने घरों को रोशन करना और अंधेरे को दूर करना चाहता है। दुर्भाग्य से, बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां इस शुभ अवसर पर भी वे अंधेरे रहता है। क्या उन्हें त्यौहार मनाने का अधिकार नहीं है ??निश्चित रूप से उन्हें भी अधिकार है, लेकिन वे ऐसा कर नही पाते हैं... इसका कारण उनकी अक्षमता और हमारी सामाजिक प्रणाली है जो उन्हें पंगु बना देती हैद्य चेतना संस्था द्वारा एजुकेशन क्लब पर बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके साथ समय– समय पर राष्ट्रीय दिवस और विभिन्न त्यौहारों को मिलजुल कर मनाया जाता है। त्योहार हमें बच्चों को सहानुभूति और दया सिखाने में मदद करते हैं, साथ ही विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के बारे में उनके ज्ञान और समझ को बढ़ाते हैं। सभी एजुकेशन क्लब पर बच्चों के साथ स्वतंत्रता दिवस, दिवाली, बाल दिवस, क्रिसमस डे का हर्सौल्लास के साथ मनाया गया। बच्चों को सभी त्यौहारों को मनाने के कारण को समझया गया तथा बच्चों को चित्रकला, नृत्य, गायन, नाटक आदि का आयोजन किया जिसमे सभी बच्चों को अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करने का मौका मिला। बच्चों ने चित्रकला के माध्यम से विभिन्न त्योहारों को मनाने के कारण को दर्शाया। बच्चों को महत्वपूर्ण दिन तभी याद रहता है जब उन्हें बताया कुछ गतिविधियों और मजेदार तरीके से बताया जाए।

# बच्चों ने जीवन कौशल कार्यशाला में सीखा

## सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श और बाल–यौन शोषण से बचाव

आज के समय में, हम बाल शोषण और छेड़छाड़ के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। यह बहुत जरुरी है कि हम बच्चों को सही समय से ही सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श (गुड टच और बैड टच) के बारे में समझाना शुरू करे।हर दिन, मीडिया ऐसे मामलों की रिपोर्ट करता है जहां बच्चों, लड़कों और लड़कियों दोनों को यौन दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। समस्या यह है, कि बच्चें यह भी नहीं जानते कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। बच्चों की बेहतरी के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे इस सब के बारे में जानें और अगर वे कभी इस तरह की स्थिति में आते हैं तो इससे निपट सके।

स्ट्रीट टू स्कूल प्रोजेक्ट के तहत आनंद विहार के स्कूल में "सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श" पर जीवन कौशल कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमे 300 बच्चों ने भाग लिया। कार्यशाला में बच्चों को "कोमल" नामक एक डॉक्यूमेंट्री मूवी दिखाया और समझाया गया कि अगर कोई आपको इस तरह से छूता है जो आपको पसंद नहीं है या जिससे आपको असहज महसूस होता है, तो आप को तेज आवाज में 'नहीं' बोलना होगा। जितना जल्दी हो सके उस जगह से दूर भाग जाएँ। कोशिश करें कि भविष्य में उस व्यक्ति के साथ अकेले न रहें। मदद के लिए अपने माता–पिता या अपने शिक्षक जैसे भरोसेमंद व्यक्ति को तुरंत फोन करें और आपके साथ जो भी हुआ हो उन्हें वह सब कुछ बताएं। आप मदद के लिए चिल्ला भी सकते हैं यदि आपके आस– पास कोई व्यस्क व्यक्ति न हैं। बच्चों को समझाया गया कि उस व्यक्ति से डरें नहीं और खुद के बारे में बुरा महसूस न करें। इसमे बच्चे ने कुछ भी गलत नहीं किया है। सभी बच्चों ने उत्साहपूर्वक कार्यशाला में भाग लिया और बच्चों को बताया गया कि जिन शरीर के अंगों को हम आमतौर पर ढक कर रखते हैं, वे हमारे निजी अंग हैं और किसी को भी आपको वहां छूने की अनुमति नहीं है। हम सभी चाहते हैं कि बच्चे सुरक्षित देखना चाहते हैं और सभी बाधाओं से उनकी रक्षा करना चाहते हैं। बच्चे हर दिन बच्चें कई लोगों के संपर्क में आते हैं और उनके आसपास अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के लोग होते हैं। हमे बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श तथा विभिन्न मुद्दों के बारे में संवेदनशील बनाना, उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और उन्हें सामान्य रूप से बढ़ने में मदद करता है। कार्यशाला में बच्चों को निम्नलिखित सुरक्षा नियम बताएं गये :–

- ☐ किसी अन्य व्यक्ति के निजी अंगों को छूना नहीं है।
- ☐ आपके सामने कोई अन्य व्यक्ति अपने किसी भी निजी अंगों को छू नही सकता है।
- ☐ आप किसी अन्य व्यक्ति के निजी अंगों को स्पर्श नही कर सकते हैं।
- ☐ कोई भी व्यक्ति आपसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहे या अपने कपड़े उतारकर, आप की तस्वीरें या वीडियो नही ले सकता है।

साथ ही साथ बच्चों को चाइल्ड –लाइन 1098 के बारे में बताया गया कि यह एक टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर है जो 24•7 बच्चों की मदद कर लिए कार्यरत है।

# क्या कहते हैं अभिभावक

विपिन कुमार जी पूर्वोत्तर दिल्ली के निवासी हैं और ठेला चलने का काम करते हैं और इनकी पत्नी रीता देवी फैक्ट्री में कपड़ों के धागा काटने का काम करती हैं। विपिन जी जब चेतना कार्यकर्ता से मिले तो उन्होंने बताया उनके बच्चें विद्यालय नहीं जाते हैं, दस्तावेज और आधार कार्ड न होने के कारण उनके बच्चों का स्कूल में दाखिला नहीं हो पा रहा है। चेतना कार्यकर्ता विपिन जी के दोनों बच्चों को लेकर पास के नगर निगम के स्कूल ले गई और प्रधानाचार्य से बच्चों के दाखिले के लिए बात किया और फिर काफी कोशिशों के बाद दोनों बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया गया। विपिन कुमार जी अपने दोनों बच्चो को रोज स्कूल भेजते हैं और एजुकेशन क्लब की भी सारी पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं। अपने बच्चो की पढ़ाई के बारे में जानने वह समय समय पर स्कूल भी जाते हैं और साथ ही साथ चेतना टीम से भी मिलती रहते हैं। विपिन कुमार जी ने स्कूल प्रबन्धन समिति का मेम्बर बन्ने कि इच्छा व्यक्त कि है ताकि वह इस निर्णय समिति का भाग बन सके और अपने विचारों को व्यक्त कर सके। वह स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन में भी आये थे जिसमे जिला बाल संरक्षण इकाई, स्कूल अधिकारी, पुलिस अधिकारी और कुछ अभिभावक भी आये थे। इस मीटिंग में आकर उन्होंने अपनी परेशानियाँ सबके सामने रखी और इसके साथ–साथ चेतना संस्था को एडमिशन कराने के लिए धन्यवाद भी दिया।

# बाल नेताओं के साथ सपोर्ट ग्रुप मीटिंग का आयोजन

चेतना पूर्वी दिल्ली में 250 सड़क और कामकाजी बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए काम कर रही हैद्य बच्चों के अन्दर नेतृत्व क्षमता को बढाने तथा समुदाय में शिक्षा जागरूकता फैलाने के लिए संस्था कोर कमिटी मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमे सभी एजुकेशन क्लब के बाल नेता शामिल होते हैं और बच्चों से सम्बंधित मुद्दों पर चर्चा करके उसका समाधान करते हैं। इस बार भी कोर कमिटी मीटिंग में पूर्वी दिल्ली के सभी एजुकेशन क्लब के बाल नेता सम्मिलित हुए, बाल नेताओं ने मिलकर बातचीत किया और अपना परिचय देते हुए बताया की वह क्या काम करते हैं और किस कक्षा में उनका दाखिला हुआ है। सभी बाल नेताओं ने अपने समुदाय की जानकारी दी और उनके समुदाय में क्या समस्याएँ हैं उन पर विस्तार से चर्चा किया। बाल नेताओं को बढ़ते कदम के बार में बताया गया है कि यह सड़क और कामकाजी बच्चों का संगठन है जिसकी शुरुआत 9 जुलाई 2002 में हुई जिसमें शुरुआत में सिर्फ 35 बच्चे थे वहीं अब बढ़ते कदम में 12000 बच्चें इसके सदस्य हैं। बच्चों को समझाया गया की बढ़ाते कदम के तीन उद्देश्य हैं–सभी सड़क और कामकाजी बच्चों को इज्जतदार जिंदगी देना और उनकी पहचान दिलाना ताकि ये बच्चें सरकारी और गैर–सरकारी मीटिंग में भागीदारी दिलाना। बच्चों को उत्साहित किया गया की वे बढ़ते कदम को मजबूती दे ताकि सभी सड़क और कामकाजी बच्चें आगे बढ़ सकेद्य मीटिंग में बच्चों को बालकनामा अखबार भी वितरित किया गया और बच्चों को उसमे से खबर भी पढ़कर सुनाया गया। चेतना संस्था के कार्यकर्ता हमेशा कोर कमेटी मीटिंग में बच्चों को उत्साहित करते हैं ताकि वह समुदाय में जाकर जागरूकता फैलाएं जिस कारण वह बच्चें स्कूल से जुड़ पायें और इसके साथ ही सभी कामकाजी बच्चों को भी उनके अधिकार मिल सके।

# शिक्षकों की पॉक्सो एक्ट पर ट्रेनिंग

स्कूलों में अधिकारी, विशेष रूप से शिक्षक, बच्चे के जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, बच्चा सात साल की उम्र से ही अपना आधा से ज्यादा दिन स्कूल में बिताना शुरू कर देता है। शिक्षकों और बच्चों के बीच एक स्पष्ट संचार बनाए रखना बहुत जरुरी है ताकि किसी भी घटना के मामले में बच्चे को रिपोर्ट करने में डर न लगे। बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए स्कूलों को विभिन्न दिशा–निर्देश दिए गए हैं, जिनमें से यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम परिपत्र प्रमुख है। परिपत्र यह बताता है कि बच्चा किस तरह एक ऐसे वातावरण तक पहुँचने के अधिकार का हकदार है जो समग्र विकास के लिए सुरक्षित, सुरक्षात्मक और अनुकूल हो। चेतना संस्था ने स्कूलों में शिक्षकों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम पर प्रशिक्षण दिया और सभी को अधिनियम की महत्ता और बच्चों की सुरक्षा को विस्तार से समझाया कि यह अधिनियम (POCSO), यौन शोषण से बच्चों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधानों को मजबूत करता है। यह 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी आदि अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। अधिनियम में कड़े दंड का प्रावधान है जो अपराध के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। चेतना संस्था स्कूलों में अध्यापकों की बाल–अधिकार, चवबेव एक्ट आदि पर प्रशिक्षण प्रदान करती है। नगर निगम प्रतिभा विद्यालय में 12 टीचर तथा प्रधानाचार्य के साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम पर प्रशिक्षण किया गया। प्रशिक्षण की शुरुआत सभी के परिचय के साथ शुरू हुआ और फिर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी दिखाया गया। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किये कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चें हमसे कोई शिकायत करते हैं लेकिन कुछ दिनों बात अपनी बात से पलट जाते हैं ऐसे स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिएद्य श्री भूपेंद्र, एडवोकेसी समन्वयक, ने बताया कि ये बिलकुल संभव है की बच्चा कुछ दिनों बात अपनी शिकायत से पलट जाए लेकिन फिर भी एक शिक्षक के रूप में हमे बच्चे की बात सुनना है और पर की जॉच करनी हैद्य संपूर्ण रूप से कक्षाओं और स्कूल को सामंजस्यपूर्ण वातावरण और समावेशिता को बढ़ावा देना चाहिए।

समन्वयक ने यह भी बताया कि शिक्षक, प्रबंधन और स्कूल के सभी कर्मचारी इस अधिनियम से बंधे हुए है कि उन्हें धारा 19 (1) और 21 में बाल शोषण के किसी भी केस की सूचना देनी है।

सभी शिक्षकों ने ट्रेनिंग में बढ़ –चढ़ कर हिस्सा लिया और यह भी साझा किया कि वे हमेशा ही बच्चों कि मदद करना चाहते हैं लेकिन उचित जानकारी के अभाव में वे उपयुक्त एक्शन नही ले पाते थे।

# अभिभावकों के साथ बैठक तथा प्रशिक्षण




चेतना द्वारा एडमिशन कराये गये 250 बच्चों के अभिभावकों के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के दौरान अभिभावाको से पूछा गया की क्या वह अपने बच्चो को रोज स्कूल भेजते हैं द्य उनसे यह भी पूछा गया कि वह स्कूल की मीटिंग का हिस्सा बनते हैं। जिन अभिभावकों ने ना कहा, उनको समझाया गया कि उन्हें समय समय पर अपने बच्चो के स्कूल जाना चाहिए और स्कूल की अध्यापकों से जानकारी लेती रहनी चाहिए की यदि उनको बच्चे ठीक तरह से पढ़ रहे हैं या नही। मीटिंग के दौरान अभिभावकों को स्कूल प्रबंधन समिति के बारे में बताया और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य किस प्रकार से स्कूल के हित में निर्णय लेते हैं, यह भी समझाया गया अभिभावाको को प्रोत्साहित किया गया कि मीटिंग में जाकर अपनी बात भी अध्यापकों के सामने रखे। इसी के साथ, अभिभावकों को बच्चो के चार अधिकारों के बारे में बताया गया और यह भी कहा कि अपने बच्चों के अधिकारों को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी उनकी है। इसके साथ ही साथ चारो बाल –अधिकारों को विस्तार से समझाया गया–

जीने का अधिकारः बच्चे के जन्म से पहले बच्चे के जीने का अधिकार शुरू हो जाता है। भारत सरकार के अनुसार, गर्भाधान के बीस सप्ताह के बाद बच्चे का जीवन शुरू होता है। इसलिए जीने के अधिकार के अंतर्गत भोजन, आश्रय और कपड़ा , पहचान और सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है।

संरक्षण का अधिकार : एक बच्चे को घर, और अन्य जगहों पर उपेक्षा, शोषण , बाल विवाह, बाल मजदूरी, यौन शोषण से बचने का अधिकार है।

भागीदारी का अधिकारः एक बच्चे को किसी भी निर्णय लेने में भाग लेने का अधिकार है जो उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल करता है। बच्चे की उम्र और परिपक्वता के अनुसार उसको सरकारी और गैर–सरकारी बैठकों में भागीदारी होती है।

विकास का अधिकारः बच्चों को सभी प्रकार के विकास का अधिकार हैः भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक। भावनात्मक विकास एक देखभाल प्रणाली की उचित देखभाल और प्यार, शिक्षा और सीखने के माध्यम से मानसिक विकास और मनोरंजन, खेल और पोषण के माध्यम से शारीरिक विकास द्वारा पूरा किया जाता है।

इसके साथ ही साथ बच्चों को बताया गया कि यदि कोई इन अधिकारों के पालन में बाधा होती है तो वे चाइल्ड लाइन 1098 पर फोन करके अपनी बात कह सकते हैं।

# पूरा हुआ स्कूल जाने का सपना

'मैं उस दिन को भूल नहीं सकती जब चेतना कार्यकर्ता मेरे घर आयें और मुझे जींस से धागे काटने के काम करने में व्यस्त पाया। मेरे और मेरे माता–पिता के साथ कुछ मिनटों के लिए उनकी मुलाकात ने मेरे जीवन में एक बड़े बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया। मैं पूरे दिन काम करता थी, लेकिन मैंने भी अध्ययन करना और स्कूल जाना भी शुरू कर दिया है, "हसीना (बदला हुआ नाम), एक 12 वर्षीय लड़की, चेतना संस्था के साथ जुड़ने पर अपनी खुशी और संतुष्टि साझा करती हुई।

हसीना चेतना कर्मचारियों को उनके कम्युनिटी सर्वे के दौरान मिली। वह नीली रंग की जींस के ढेर से घिरे हुई थी और धागे काटने में व्यस्त थी। हसीना बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली हैं। एक शराबी पिता से घर जन्मी हसीना की एक छोटी बहन माहिरा (बदला हुआ नाम) है। वह अपने नाना के साथ दिल्ली के एक झुग्गी में रहती है। दोनों बहनें उनके साथ रहती हैं और काम करती हैं। उसकी माँ ने अपने शराबी पिता से अलग होकर किसी और से शादी कर ली। उसके बाद, दोनों दिल्ली में अपनी माँ के परिवार में चले आयें। अपनी छोटी बहन माहिरा के साथ, वह परिवार के बाकी सदस्यों के साथ धागा काटने का काम करती है। इस काम में उन्हें एक नई जीन्स के अतिरिक्त धागे को काटने का काम दिया जाता है, इसके लिए, उन्हें 60 प्रति 100 जोड़े जीन्स की दर से भुगतान किया जाता है। एक सामान्य दिन में, दोनों लगभग 500 जोड़े जींस का काम खत्म करने में सक्षम हैं, लगभग 300 रुपये कमाती हैं। लेकिन उनकी मेहनत से कमाया गया पैसा उनके पास नहीं आता है। इसके बजाय, यह उनके दादा के पास जाता है, जिससे परिवार की आय में योगदान होता है। जब हसीना ने पहली बार चेतना स्टाफ ने बातचीत की, तो उसने शिक्षा में रुचि दिखाई कि वह स्कूल जाना चाहती है। हालांकि उसके पास कोई पहचान पत्र दस्तावेज नहीं था, जैसे आधार कार्ड आदि। हसीना के सपने पूरे होने में सबसे बड़ी बाधा उसके दादा–दादी के रूप में पाई गई क्योंकि उसे स्कूल भेजकर वे उस कमाई को नहीं खोना चाहते थे जो उन्हें दोनों बच्चों की मेहनत से मिल रही थी।



फिर दादा–दादी की काउंसलिंग की गई और मीटिंग की एक श्रृंखला के माध्यम से उन्हें जागरूक किया गया और आखिरकार टीम उन्हें बच्चों को शिक्षा क्लब और स्कूल जाने की अनुमति देने के लिए राजी करने में सफल रही। एक बार उसके दादा दादी सहमत हो गए, पहले उसे शिक्षा क्लब में और फिर स्कूल में दाखिला दिलाया गया। हसीना अपने जीवन में इस बदलाव को पाकर बहुत खुश है। भविष्य में, वह एक शिक्षक बनने का सपना देखती है।

**नोट** :– इस अंक में बच्चों के चित्र उनकी पूर्व अनुमति से प्रकाशित किए गए हैं

**चेतना**
40/22, मनोहरकुंज
गौतम नगर, नई दिल्ली–110049
फोन नं. 91–11–41644470–71, 91–11–41644471

**सम्पादकीय सहयोग :**
मीनाक्षी, शालिग्राम, [illegible]ष, तुलसी, नदीम, वर्षा, सोनिया, पूजा, उषा जस्टा